न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

मु0नं0 30/17

तारीख रजू :– 27.11.2017

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव (R.A.S.)

1. भरतलाल पुत्र विशनपाल जाति मीना निवासी कुंजेला तहसील नादौती जिला करौली।

.... प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार नादौती।
2. बद्री पुत्र विशनपाल जाति मीना निवासी कुंजेला तह0 नादौती जिला करौली।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक :– **15.05.2018**

प्रा0पत्र में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का एक मुकदमा उनवानी भरतलाल बनाम लैण्ड होल्डर मुकदमा नंबर 21/15 दावा अस्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में वास्ते बहस में दिनांक 07.04.2016 में नियत था।

प्रार्थी की प्रार्थना पत्र कृषि भूमि से सम्बन्धित है जो कन्टस्टेड मुकदमा है जिसे दिनांक 17.06.2016 को लोक अदालत ग्राम पंचायत कुंजेला में अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया था। जिसका पता प्रार्थी को दिनांक 18.10.2016 को न्यायालय हाजा में तारीख पेशी मालूम करने पर पता चला। जिसकी नकल दिनांक 20.11.2016 को प्राप्त होने पर मालूम हुआ।

नकल प्राप्ति के बाद कृषि कार्य में व्यस्त होने से प्रार्थी उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सका जो अनावश्यक देरी होने से क्षमा योग्य है। देरी होने की वजह के लिये अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट की पेश की जा रही है, जो क्षमा योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमायी जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, नोटिस वाद तामिल शामिल किये गये।

पत्रावली लोक अदालत/न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कुंजेला को पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित आयें। दोनो पक्षो को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपने कथन में प्रार्थना पत्र को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। दोनो पक्षो को सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी म्याद बाहर पेश होने पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार माना जाकर वाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को अदालत/न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कुंजेला में खुले न्यायालय सुनाया गया।

महेन्द्र सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नादौती (करौली)